कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

16. **परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रियाः–**

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने JIIOCE-2022 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

17. **पदों का विकल्प** :–

विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प देना अनिवार्य होगा।

18. **परीक्षा का स्वरूप** :–

आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा **(CBT)** ली जायेगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहो में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा। Normalisation का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित है। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा :–

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :–परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी।

19. प्रशिक्षण अधिकारी के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम :–

लिखित परीक्षा :– लिखित परीक्षा अन्तर्गत (03) तीन पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 02 (दो) घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 03(तीन) अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जाएगी।

19.1 पत्र – 1 : विषय : (भाषा एवं सामान्य ज्ञान)

भाषा ज्ञान :–	(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	–	25 प्रश्न
	(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	25 प्रश्न
सामान्य ज्ञान :–	(क) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	30 प्रश्न
	(ख) सामान्य विज्ञान	–	10 प्रश्न
	(ग) सामान्य गणित	–	10 प्रश्न
	(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	10 प्रश्न
	(ड़) कम्प्यूटर का ज्ञान	–	10 प्रश्न
			कुल प्रश्न – 120

नोटः– यह पत्र अर्हक (Qualifying) होगा एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जाएँगे। परीक्षा पाठ्यक्रम अनुसूची–1 पर द्रष्टव्य है।

19.2 पत्र – 2 : विषय : (चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा ज्ञान)

उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँडुख(उराँव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़ीया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के एक सौ (100) बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रष्न पूछे जायेंगे।

नोटः– यह पत्र अर्हक (Qualifying) होगा एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जाएँगे। परीक्षा पाठ्यक्रम अनुसूची–2 पर द्रष्टव्य है।

19.3 पत्र – 3 : विषय : (तकनीकी ज्ञान)

इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 (एक सौ बीस) होंगी एवं इसका पाठ्यक्रम किसी विषय विशेष के लिए वही होगा जो प्रषिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली (DGT, New Delhi) के वेबसाईट https://dgt.gov.in/cts_details पर उपलब्ध है। तद्नुसार परीक्षा पाठ्यक्रम अनुसूची–3 पर उपलब्ध है।

टिप्पणी– पत्र–3 तकनीकी ज्ञान की परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक होगाः–

- अनारक्षित – 40 प्रतिशत
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 40 प्रतिशत
- पिछड़ा वर्ग (अनु–II) – 36.5 प्रतिशत
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु–I) – 34 प्रतिशत
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला – 32 प्रतिशत
- आदिम जनजाति समूह – 30 प्रतिशत

नोटः– पत्र 3 (तकनीकी ज्ञान) में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा व्यवसायवार मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा।

20. लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

(i) **प्रश्न पत्र 1 (भाषा एवं सामान्य ज्ञान) में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र 2 (चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा ज्ञान) में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों (प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2) में प्राप्त अंक मात्र अर्हक *(Qualifying)* होंगे।** अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3

(तकनीकी ज्ञान) के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा भिन्न–भिन्न व्यवसायों के प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(ii) **मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (बराबर) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्त्तनी के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लए आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।**

(iii) **मेधा सूची गठित करने के पश्चात् विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच की जायेगी। प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।**

(iv) **प्रारंभिक जाँच उपरान्त अधियाचना के अनुरूप सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों का मूल आवेदन पत्र एवं स्व–अभिप्रमाणित/हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रशासी/अधियाची विभाग को भेजी जायेगी।**

(v) **अनुशंसित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों की जाँचोपरांत संतुष्ट होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।**

21. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका–18 के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथा संभव अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/ अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरूद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

नोटः–आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों की जाँचोपरांत संतुष्ट होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।